कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री गिरजा शंकर, 89, एच0 आई0 जी0 डबल स्टोरी, बर्रा-2, कानपुर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**117 / 09, 14.12.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री गिरजा शंकर, 89, एच0 आई0 जी0 डबल स्टोरी, बर्रा-2, कानपुर द्वारा दिनांक 14.12.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' मेटल बाक्स / केस / कन्टेनर ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 30.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा निर्मिट मेटल बाक्स का प्रयोग इलेक्ट्रिक वायरिंग के पाइप के अन्त में लगाने के लिए किया जाता है । इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट आदि लगाकर स्विच लगाये जाते हैं । पंखे के लिए भी इसी प्रकार का बाक्स / केस / कन्टेनर लगाया जाता है । प्रार्थी मेटल बाक्स / केस / कन्टेनर के निर्माण व बिक्री का कार्य करेंगे । इसके ऊपर लगने वाली प्लास्टिक शीट व स्विच आदि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रार्थी द्वारा निर्मित मेटल बाक्स में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है इसलिए यह इलेक्ट्रिक गुड्स नहीं है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, कानपुर सम्भाग-ए, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-3391, दिनांक 02.01.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-सी की प्रविष्टि संख्या-201 के अन्तर्गत मेटल कन्टेनर्स अंकित है तथा प्रविष्टि संख्या-238 के अन्तर्गत मेटल के बाक्सेज, केसेज, क्रेट्स तथा कन्टेनर्स एवं उनके स्टापर, कैप्स तथा लिड्स जो मेटल के बने हों तथा जिनका प्रयोग विभिन्न सामान की पैकिंग में किया जाता हो, आते हैं । किन्तु इसके अन्तर्गत इन्सुलेटेड वेयर शामिल नहीं हैं । इन सभी वस्तुओं पर कर की दर 4% है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, कानपुर सम्भाग-ए, कानपुर की आख्या का समर्थन किया गया तथा कहा गया कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अन्त में लगने वाले स्विच एवं स्विच बोर्ड को आधार प्रदान करने के लिए मेटल बाक्स का प्रयोग दीवाल के अन्दर किया जाता है । यह इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं है । अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-सी की प्रविष्टि संख्या-238 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, कानपुर सम्भाग-ए, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया ।

पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मेटल बाक्स / केस / कन्टेनर पर कर की दर जाननी चाही गयी है। यह वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-सी की प्रविष्टि संख्या-238 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। अत: इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 4 फरवरी, 2014

ह0 / 04.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।